



गुरुवार, 7 मई, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली

## **टाटा पावर-डीडीएल आगामी 10 मई, 2025 को नेशनल लोक अदालत में करेगी बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों के मामलों का तत्काल निपटारा**

- नेशनल लोक अदालत का आयोजन पीएलए1, सब स्टेशन बिल्डिंग  
2/13, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के  
नज़दीक) में किया जाएगा**

नॉर्थ दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल आगामी शनिवार, 10 मई, 2025 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर 'नेशनल लोक अदालत' में हिस्सा ले रही है। नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का तत्काल निपटान किया जाता है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन इस शनिवार, 08 मार्च, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक, पीएलए1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर - 13, रोहिणी, दिल्ली - 110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में किया जाएगा।

इस नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई में भाग लेने के इच्छुक लोगों को हेल्पलाइन नंबर 19124 पर रजिस्टर करना होगा या बिजली चोरी संबंधी बिलों के मामले में [eac.care@tatapower-ddl.com](mailto:eac.care@tatapower-ddl.com) तथा डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों के बकाया बिलों से संबंधित मामले में [customercare@tatapower-ddl.com](mailto:customercare@tatapower-ddl.com) पर ईमेल करें। अपने मामलों का निपटान करने के लिए पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वादियों को अपना फोटो पहचान-पत्र और बिजली चोरी या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन संबंधी अपने बिलों को साथ लाना होगा। साथ ही, जो उपभोक्ता अपने विवादित बिलों का निपटान कराना चाहते हैं वे पीएलए-1 में अपने बिल की प्रति और अपने आधार कार्ड के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामलों तथा डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का तुरंत निपटारा कराने का अवसर मिलता है। बिलों का भुगतान करने से चूक

करने पर, कंपनी उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों तथा डीईआरसी विनियमनों के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान विभिन्न माध्यमों जैसे चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए अथवा नकद रूप से कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए टाटा पावर-डीडीएल विभिन्न माध्यमों से अपने उपभोक्ताओं तक इस संबंध में जानकारी पहुंचा रही है।

### टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसने उपभोक्ता-केंद्रित व्यवहारों के लिए अपनी साख बनायी है। निजीकरण के बाद से, टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में, एटीएंडसी नुकसान 5.9% के स्तर पर पहुंच चुका है, और जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान स्तर की तुलना में इसमें अप्रत्याशित कमी आई है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में और जानकारी के लिए देखें: [www.tatapower-ddl.com](http://www.tatapower-ddl.com)

For further information please contact:

**Corporate**

**Communications:**

**Slough PR:**

John  
Edwin

(9910082270)

Abhishek Anand(9711061540)

